न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, जिला हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी– चंचल वर्मा आर.ए.एस.

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम–1994

प्रकरण संख्या– 01/2018

1. भवानी सिहं पि0 मु0 अमर सिंह जाति राजपूत निवासी रासलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ(राज.)

– आवेदक

बनाम

1. इकबाल पुत्र सफी मोहम्मद जाति कायमखानी निवासी रामलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (राज.)।
2. जबार खां पुत्र अहमद अली खां जाति कायमखानी निवासी भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (राज.)।
3. संरपच ग्राम पंचायत रासलाना पंचायत समिति भादरा त0 भादरा।
4. प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति भादरा तहसील भादरा।

– अनावेदकगण

उपस्थितः–श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता प्रार्थी।

श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–1, 2

निर्णय दिनांकः– 04-05-2023

प्रार्थी भवानी सिहं पि0 मु0 अमर सिंह जाति राजपूत निवासी रासलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ(राज.) द्वारा निर्णय दिनांक 10.10.2017 प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति भादरा जिला हनुमानगढ़ जिसकी रूह में अपील संख्या 18/2015 बअनवानी इकबाल बनाम सरपंच ग्राम पंचायत रासलाना आदि स्वीकार की जाकर आवेदक के नाम से जारी पट्टा दिनांक 16.04.1989 को निरस्त कर शून्य घोषित किया को अपास्त करवाने बाबत निगरानी पेश की है, जिसके तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है–

अनावेदकगण नं. 1 व 2 यानी अपीलांटगण की तरफ से एक अपील संख्या 18/2015 बअनवानी इकबाल आदि बनाम संरपच गाम पंचायत रासलाना आदि इस आशय की प्रस्तुत हुई कि अपीलांट्स ग्राम रासलाना के स्थाई निवासी है। तथा उनके मकान ग्राम रासलाना की आबादी भूमि में बने हुए है तथा अपीलांट के घरों के आगे कदीमी आम चौक स्थित है। जिसे गांव में बारात ठहरनें सत्संग करने एवं मिटिंग आदि करने तथा पशुओं के बैठनें के काम सार्वजनिक रूप में लिया जाता रहा है। तथा उक्त चौक के पास में ही अपीलांट तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर

04/5/2023

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

यानी निगरानी आवेदक के मकान स्थित है तथा रेस्पोडेन्ट नं. 2 ने उक्त सार्वजनिक आम चौक की जगह को शामिल करते हुए दिनांक 16.04.1989 को अपने पक्ष में आम चौक की जगह जिसकी उत्तरी भुजा 20 फुट दक्षिण भुजा 33 फिट, पूर्वी भुजा 60 फीट, एवं पश्चिमी भुजा 62 फुट माप का पट्टा जारी करवा लिया तथा उक्त तथाकथित पट्टा में वर्णित जगह को अपीलांट तथा अन्य ग्रामीण लोक सार्वजनिक चौक के रूप में काम लेते रहे है तथा उक्त भूमि आम चौक सार्वजनिक चौक के रूप में ही काम लेते रहे है तथा उक्त भूमि आम चौक के रूप में रखी हुई थी। तथा उक्त जगह पर किसी भी प्रकार में ग्राम पंचायत को रेस्पोडेन्ट नं. 2 के पक्ष में पट्टा जारी करने का अधिकारी नहीं था तथा उक्त तथाकथित पट्टा जारी करने वाला तत्कालीन संरपच भी रेस्पोडेन्ट नं. 2 का सगा चाचा था। जिसके चलते कानूनी एवं नियमों को ताक में रखकर उक्त पट्टा जारी किया गया है तथा उक्त पट्टा पर ग्राम पंचायत के सचिव, उप सरपंच, पंच आदि के भी कोई हस्ताक्षर नही है तथा उक्त तथाकथित पट्टा के आधार पर रेस्पोडेन्ट नं. 2 नें सिविल न्यायालय में दावा पेश करने पर अपीलांट को पता चला कि उक्त आम चौक की जगह का उसके पक्ष में पट्टा जारी किया हुआ है। जिसकी प्रति प्राप्त होने पर अपीलांट उक्त अपील पेश कर रहे है तथा रेस्पोडेन्ट नं. 2 के नाम उक्त तथाकथित पट्टा फर्जी तथा उक्त आशय की अपील पेश होने पर अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की गई तथा रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किये गये तथा रेस्पोडेन्ट नं. 2 आवेदक ने मातहत अदालत में हाजिर होकर जबाव अपील दर्ज तथ्यों का इन्कार करते हुए इस आशय पेश किया कि प्रार्थी आवेदक का गाँव रासलाना की पुरानी आबादी में उसके खोलायत पिता के समय का रिहायशी मकान था। जिस पर उसका सदा से कब्जा चला आ रहा था तथा आवेदक यानी अपीलांट में रेस्पोडेन्ट नं. 2 नें ग्राम पंचायत रासलाना में निम्न आसा पाता व नाप के उक्त मकान का कीमतन पट्टा जारी करवा दिया। उतर 20 फुट आम गली दक्षिण 33 फूट व अप्रार्थी नं. 1 के पिता सफी मोहम्मद का मकान पूर्व में 60 फीट खुद का मकान पश्चिम 62 फीट आम गली तथा उक्त पट्टा प्राप्त करने के बाद आवेदक प्रार्थी पट्टे शुद्धा खण्ड, जो उसके पूर्ण स्वामित्व व आधिपत्य में था, को बतौर मालिक अपने कब्जा उपयोग उपभोग में लेता रहा तथा आवेदक प्रार्थी के उक्त भूखण्ड के दक्षिण में उस समय अप्रार्थी आवेदक नं. 1 के पिता सफी मोहम्मद के मकान की दीवार लगती थी और उसके मकान का मुख्य बारना पश्चिम की और आम गली में था तथा अप्रार्थी के पिता सफी मोहम्मद ने दिनांक 02.06.1989 को आवदेक प्रार्थी व उसके परिवार के सदस्यों के मना करने के बावजूद जबरदस्ती प्रार्थी आवेदक के उपर वर्णित पट्टा शुद्धा भूखण्ड के अन्दर दक्षिणी पश्चिमी कोने में 25 वर्गफीट का जबरदस्ती व ताकत के बल पर अतिक्रमण करते हुए उसमें एक

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर

04/6/2023

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

फिट खोद कर दीवारें आदि बनाकर एक पखानें का निर्माण कर लिया और प्रार्थी आवेदक के शेष पट्टा शुद्धा भूखण्ड की और गेट जंगला आदि निकालने की धमकी देने लगा तथा अप्रार्थी आवेदक ने अपार्थी के पिता सफी मोहम्मद के विरुद्ध निषेधाज्ञा का एक वाद दीवानी वाद सं. 48/1989 मुन्शीफ कोर्ट भादरा में पेश किया तथा उक्त दावा में दिनांक 23.11.1997 को प्रार्थी आवेदक व अनावेदक नं. 1 के पिता सफी मोहम्मद का उक्त वाद में राजीनामा हो गया । जिसके अनुसार यह तय हुआ कि प्रार्थी आवेदक के पट्टा शुद्धा प्लाट जिसकी उतरी भूजा 20 फीट, दक्षिण भूजा 33 फीट पूर्व भूजा 60 फुट व पश्चिम भूजा 62 फुट है। उक्त भूखण्ड के दक्षिणी पश्चिमी कोने में सफी मोहम्मद द्वारा 5 गुणा 5 फीट कुल 25 वर्गफीट भूमि अप्रार्थी की रहेगी और इस सीमा तक प्रार्थी आवेदक का पट्टा निरस्त माना जावेगा और शेष पट्टा बहाल रखा जाये तथा सफी मोहम्मद उक्त पट्टा शुद्धा भूमि की तरफ ना पानी बहाव रखेगा व ना ही बारना, जाली, जंगला, झरोखा, पतनाला नही रखेगा। और पतनाले है,उन्हें बंद कर लेगा तथा इस प्रकार सिविल कोर्ट का दिनांक 23–11–1991 को, जो निर्णय व डिक्री है, वह अन्तिम है तथा इसमें सभी पक्षकार पाबंद है तथा पंचायत समिति को सिविल कोर्ट के निर्णय व डिक्री के विरूद्ध सुनवाई करने का कोई कानूनी हक व अधिकार नहीं है। अपीलांट को सन् 1989 में चले दीवानीदावा की बाबत और उसमें हुए फैसलें व डिक्री की बाबत दिनांक 23.11.1991में जानकारी है और बावजूद जानकारी अपीलांट अनावेदकगण ने जानबूझकर ये तथ्य छुपाया है। इसलिये अपीलांट अनावेदकगण सवभाविक रूप सें नही आए है तथा इस प्रकार उपरोक्त आधार पर अपीलांट की अपील चलने के काबिल नही है व खारिज किये जाने योग्य है तथा न तो मौके पर आम चौक है। तथा ना ही आम चौक की बाबत कोई पट्टा जारी किया गया है तथा पट्टे का नाप मौके पर कब्जा के अनुसार है तथा पट्टा विधिवत तरीके से जारी किया गया है। जो वैध व सही है तथा रेस्पोडेन्ट नं. 2 यानी आवेदक का पट्टा कब्जे के आधार पर कीमतन जारी किया गया है तथा पट्टा 27 वर्ष पुराना है तथा उक्त पट्टे के आधार सिविल कोर्ट का निर्णय व डिक्री है तथा अपीलांट सं. 1 यानी अप्रार्थी नं. 1 के पिता राजीनामा के आधार पर दावा डिक्री हुआ था तथा अपीलांट ने जानबुझकर उपरोक्त महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाकर झूठे तथ्यों के आधार पर अपील पेश की है तथा अपीलांट अनावेदकगण को सन् 1989 व 1991 में पट्टा दिनांक 15.4.1989 की भलीभांति जानकारी थी तथा न्यायालय के निर्णय व डिक्री की भी प्रति अपीलांट के पास है तथा उन्हें सिविल कोर्ट के फैसले की भी जानकारी है। इस प्रकार उनका यह कथन कतई गलत है, कि उन्हें पट्टा की जानकारी दिनांक 15.5.2015 को हुई है। इसलिये अपील अपीलांट अन्दर मियाद नही है तथा अपील न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में नही है क्योंकि सिविल कोर्ट का फैसला व डिक्री

04/5/2023

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

दिनांक 23.11.1991 की है। जो अन्तिम है, जिसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील पेश नही हुई है। इसलिये पंचायत समिति को सिविल कोर्ट के निर्णय व डिक्री के लिए किसी प्रकार सुनवाई व कार्यवाही करने का कानूनी हक व अधिकार नही है। अपीलाट में तमाम तथ्यों को छुपाकर झूठें आधारों पर अपील पेश की है। अतः जबाव व एतराज पेश कर अर्ज है, कि अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे तथा मातहत अदालत ने बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए तथा बिना सही आधार के विधि विरूद्ध तरीके में आवेदक के पक्ष जारी पट्टा दिनांक 16.04.1989 को निरस्त कर शून्य पारित अपने निर्णय दिनांक 10.10.2017 किया है। जिसमें आवेदक प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होती है। जिसमें आवेदक निर्णय दिनांक 10–10–17 को अपास्त करने हेतु तथा आवेदक प्रार्थी के पट्टा दिनांक 16.04.1989 को बहाल करवाने हेतु यह निगरानी आवेदक निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत करता है।

(क) यह कि निर्णय दिनांक 10.10.2017 ब अदालत मातहत बखिलाफ कानून नियम व वाक्यात व रूपदाद मिसल है। तथा पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों साक्ष्य के खिलाफ तथा निर्णय दिनांक 10.10.2017 का बिल इखराजी है।

(ख) यह कि मातहत अदालत ने बिना किसी सही विश्लेषण के कतई मनमाना स्वेच्छाचारी व नियम विरूद्ध निर्णय पारित किया है।

(ग) यह कि मातहत अदालत ने इस तथ्यों की तरफ गौर नहीं किया कि आवेदक का पट्टा कब्जे के आधार पर कीमतन जारी किया है तथा पट्टा 27 वर्ष पुराना है तथा उक्त पट्टा के आधार पर सिविल कोर्ट का निर्णय व डिक्री है अनावेदक नं. 1 के पिता के राजीनामा के आधार पर दावा डिक्री हुआ था, जिसमें अनावेदकगण पाबंद बाध्य है तथा अपीलांट अनावेदकगण ने जानबूझ कर उपरोक्त महत्वपूर्ण तथ्यों को घुमाकर झूठे तथ्यों के आधार अपील पेश की थी, मगर मातहत अदालत ने नियमानुसार जारी पट्टा को निरस्त व शून्य घोषित कर अपने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर निर्णय पारित किया है, जो काबिले खारिजी है।

(घ) यह कि अनावेदकगण ने पट्टे की जानकारी मातहत अदालत में दिनांक 15.5.2015 को नोटिस जारी करने के बाद हुई हो। दरअसल अनावेदक अपीलांट इकबाल का पिता सफी मोहम्मद के विरुद्ध आवेदक प्रार्थी ने सन् 1998 में दीवानी दावा पेश किया था, जो दिनांक 23.11.1991 को सिविल कोर्ट द्वारा डिक्री हो गया । तथा उक्त निर्णय व डिक्री में अनावेदक अपीलांट पाबंद थे तथा उसको सन् 1989 व 1991 में पट्टा दिनांक 15.4.1989 की भलि भांति जानकारी थी तथा न्यायालय के निर्णय व डिक्री की भी प्रति अनावेदक के पास थी तथा उन्हें सिविल कोर्ट के फैसले की भी जानकारी थी तथा इस प्रकार उनको यह कथन कतई गलत था, कि उन्हें पट्टा की जानकारी दिनांक 15.5.2015 को हुई। इसलिये अपील अपीलांट अनावेदकगण के मातहत अदालत अन्दर मियाद नहीं थी और ना ही मातहत

04/6/2023
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

अदालत क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में थी, क्योंकि सिविल कोर्ट का फैसला व डिक्री दिनांक 23.11.1991 की थी, जो अन्तिम फैसला था तथा जिसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील पेश नहीं हुई थी तथा ना ही देरी को माफ करवाने हेतु म्याद अधिनियम की धारा– 5 का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत था, इसलिये पंचायत समिति को सिविल कोर्ट के निर्णय व डिक्री के लिए किसी प्रकार की सुनवाई व कार्यवाही करने का कोई कानूनी हक व अधिकार नही था, फिर मातहत अदालत ने अपील स्वीकार कर पट्टा आवेदक निरस्त कर कानूनी गलती की है।

(ङ) यह कि मातहत अदालत ने कानून के खिलाफ जाते हुए केवल राजनैतिक द्वेष के वशीभूत होकर निर्णय पारित किया है।

(च) यह कि आवेदक को मातहत अदालत नें जो मौका रिपोर्ट तैयार की गई, उसके बारे में कोई सूचना व सुनवाई का अवसर नही दिया है जबकि भूखण्ड के बाबत सिविल कोर्ट में मौका कमीश्नर रिपोर्ट तैयार की गई थी तथा जिसमें दोनो पक्षकार को सूचना व सूनवाई का अवसर दिया है। मगर मातहत अदालत ने कतई गलत तथ्यों पर निर्णय दिनांक 10.10.2017 पारित किया है तथा आवेदक का विधि अनुसार जारी पट्टा सन् 1989 निरस्त व शून्य घोषित कर कानून के मान्य सिद्धान्तों की अवहेलना की है तथा निर्णय इसी आधार काबिल निरस्तनीय है।

लिहाजा यह निगरानी आवेदक प्रार्थी पेश कर निवेदन है कि निगरानी आवेदक स्वीकार की जाकर निर्णय दिनांक 10.10.2017 अदालत मातहत अपास्त फरमाया जावे तथा पट्टा दिनांक 16.04.1989 बहक आवेदक बहाल रखा जावे।

निगरानी पेश होनें पर दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या–1, 2 की ओर से श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एडवोकेट उपस्थित हुये। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने अपनी बहस में कथन किया जो निम्न प्रकार है– दिनांक 10.10.2017 को पंचायत समिति भादरा में अपील संख्या 18/2015 स्वीकार करते हुये पट्टा खारिज किया गया। अप्रार्थी संख्या–1, 2 ने कहा कि अपीलांट के घर के आगे आम चौक है। निगरानीकर्ता ने दिनांक 16.04.1989 को 20 X 33 एंव 60 X 62 का पट्टा जारी करवा लिया और मेरा पट्टा खारिज करवा दिया। मेरे भूखण्ड पर पाखाना आदि बना लिया तो सिविल कोर्ट से निर्णय हुआ कि 5 X 5 फुट दक्षिण–पश्चिम आवेदक का पिता सफी मोहम्मद उक्त भूखण्ड का उपयोग कर सकेगा। इसके बावजूद कब्जे का प्रयास किया। सिविल कोर्ट में दावा किया। कोर्ट ने दिनांक 04.05.2022 को स्थगन आदेश जारी किया और मेरे पट्टे को यथावत व सही माना। पंचायत समिति का मेरे पट्टे

04/5/2023
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

को खारिज करने का निर्णय गलत है। अतः मेरी निगरानी स्वीकार की जाए और पट्टा बहाल रखा जाए।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–1,2 ने अपनी बहस में कथन किया कि– अप्रार्थी संख्या–1, 2 ने अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश की। बअनवानी इकबाल बनाम ग्राम पंचायत रासलाना। अपीलांट के घर के आगे आम चौक है जहां पशु आदि भी रूकते है। आम चौक की जगह को शामिल करते हुए आवेदक ने वर्ष 1989 में पट्टा बनवा लिया। समस्त ग्रामीण आम चौक का उपयोग करते है। प्रार्थी को जारी पट्टे पर केवल सरपंच के हस्ताक्षर है, सचिव के नहीं। दो पंचो के हस्ताक्षर भी नहीं। तत्कालिन सरपंच आवेदक का चाचा था। पट्टा जारी के दिन को कोई रिकार्ड पंचायत में नहीं है और कोई ऐसी भूमि उस दिन पट्टा योग्य नहीं थी। कोई पत्रावली संधारित नहीं है। वर्ष 1991 का सिविल न्यायालय का निर्णय, जो पाखाना संबधी था, यह राजीनामा पर आधारित चौक में जारी हुआ पट्टा सही खारिज किया है। अतः निगरानी खारिज की जावे।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने पुनः कथन किया कि– दो परिवारों का वर्ष 1989 से विवाद चल रहा है। मेरे हिस्से पर अतिक्रमण करनें लगे तो सिविल कोर्ट ने इकबाल को पुनः पाबंद किया। सिविल कोर्ट में सभी के बयान हुए है। मेरी निगरानी स्वीकार की जावे। अप्रार्थी द्वारा तथ्यों को छुपाते हुये अपील पेश की थी।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–1, 2 ने पुनः कथन किया कि – पट्टा सही है या गलत करनें का हक पंचायत समिति को है। मौका निरीक्षण में अपीलांट का अपने हिस्से से अधिक का पट्टा पाया गया है। आम रास्ते को रोका हुआ है, जिससे सभी ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

हमनें पत्रावली का अवलोकन किया एंव अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। हमनें दोनों पक्षों द्वारा सिविल कोर्ट में किए गये दावों आदि की प्रतिलिपियों का भी अध्ययन किया। निगरानीकर्ता भवानीसिंह को जारी पट्टा नियम 266 राजस्थान पंचायत एंव न्याय पंचायत आ0 नियम 1961 तहत जारी किया गया जो कि दिनांक 16.04.1989 को जारी किया गया। इस समय पंचायती राज अधिनियम 1994(वर्तमान में जारी) लागू नहीं हुआ था। अधीनस्थ न्यायालय (पंचायत समिति) की पत्रावली देखनें से ज्ञात होता है कि सम्पूर्ण पत्रावली पंचायती राज अधिनियम 1994 के प्रभाव में ही विरचित है। कोई भी अधिनियम भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं होता जब तक कि उसके लिए विशेष रूप से अधिनियमित न किया गया हो। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय ने मूल विधि का ही ध्यान नहीं रखा। उक्त पट्टा जिन नियमों के तहत जारी किया गया गया था, उन्ही नियमों के तहत उसकी उपयुक्तता/अनुपयुक्तता

04/5/2023
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

पर मनन/ विचारण किया जाना चाहिए था। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज योग्य है। अतः निर्णय दिनांक 10.10.2017 खारिज किया जाता है एंव निगरानीकर्ता का पट्टा दिनांक 16.04.1989 को बहाल किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न कर लौटाया जावें। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखा जाकर आज दिनांक 04-05-2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

04/5/2023

(चंचल वर्मा R.A.S.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)